न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा छीपा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 21/2021 राजस्व वाद

उनवान

1. श्री गिरीराज कुमार पुत्र श्री मदन लाल जी जाति मून्दड़ा (महाजन) आयु वयस्क निवासी– हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र श्री मोती लाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भंवर लाल पुत्र श्री मोती लाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री मोती लाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र घौषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण – श्री प्रवीण कुमार चौरडिया
प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 – अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

दिनांक– 28.11.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 2226/2 बाईस सौ छब्बीस रकबा 0.2023 हैक्टयर (16 सौलह बिस्वा) भूमि स्थित है। जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन के नाम पर दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी नम्बर 2226/2 बाईस सौ छब्बीस रकबा 0.2023 हैक्टयर (16 सौलह बिस्वा) मे से 04 चार बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 तीन के पिता व पति मोती लाल पुत्र श्री भवाना जाट निवासी– हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा द्वारा वादी को दिनांक 30 तीस जुलाई 1996 को निष्पादित विक्रयपत्र जो दिनांक 31 इगतीस जुलाई 1996 उन्नीस सौ छियानवे को उपपंजीयक, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के यहां से पंजीयन किया गया व कब्जा वादी को सिपुर्द किया गया, जिसके पडौस पूर्व मे विक्रेता की आराजी मे जाने का रास्ता, पश्चिम मे मोहन लाल/शंकर लाल जाट की आराजी, उत्तर मे विक्रेता की दिगर आराजी, दक्षिण मे हमीरगढ़–कीरो की झौपडिया ग्रामीण सड़क है। वादी अपनी क्रयशुदा भूमि पर क्रय की दिनांक से काबिज होकर उसका उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

उपभोग करता चला आ रहा है व आज भी वादी का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी क्रयशुदा भूमि पर निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे खुले रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात वादी द्वारा पटवार हल्का के समक्ष रजिस्ट्री की नकल दी गयी व पटवार हल्का द्वारा वादी को आश्वस्त किया गया कि उक्त भूमि का नामान्तरणकरण वादी के नाम पर खोल दिया जायेगा व वादी द्वारा भूमि का नामान्तरणकरण अपने नाम पर खुल जाना मान लिया गया। वादी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु दिनांक 09 नो जुलाई 2021 दो हजार इक्कीस को उक्त जमीन की नकल निकलवायी तो वादी का नाम दर्ज नही होकर विक्रेता मोती लाल की मृत्यु हो जाने से उनके वारीसान प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन के नाम पर दर्ज होने की जानकारी हुई। इस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन से सम्पर्क किया व उक्त भूमि वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने हेतु निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादीगण टालमटोल करते चले आ रहे है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 चार को भी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की फोटो प्रति पेश कर उक्त भूमि रजिस्ट्री के आधार पर वादी के नाम पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया, लेकिन उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज नही की गयी व दिनांक 10 दस अगस्त 2021 दो हजार इक्कीस को वादी को सक्षम न्यायालय मे वादपत्र पेश करने की चाराजोही की हिदायत दी गयी। सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 2226/2 बाईस सौ छब्बीस रकबा 0.2023 हैक्टयर (16 सौलह बिस्वा) भूमि मे से 04 चार बिस्वा भूमि जिसके पडौस वादपत्र की चरण संख्या 02 मे वर्णित है, को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 तीन के पिता व पति मोती लाल पुत्र श्री भवाना जाट से दिनांक 31 इगतीस जुलाई 1996 उन्नीस सौ छियानवे को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय की है, वादी राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, आराजी नम्बर 2226/2 रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि मे से 04 चार बिस्वा भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम कराने का अधिकारी है, तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 तीन सादिर फरमायी जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण बाद तामिल कोई उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व वादी द्वारा अपनी साक्ष्य मे अपना स्वयं के शपथपत्र भी पेश किये गये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 2226/2 बाईस सौ छब्बीस रकबा 0.2023 हैक्टयर (16 सौलह बिस्वा) भूमि मे से 04 चार बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पिता व पति मोती लाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के विक्रय की है। उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे गलत तौर पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम पर दर्ज रह गयी है, उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर वादी द्वारा क्रय करना साबित व साथ ही वादी

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

व मौतबीरान स्वतंत्र गवाहान के अनुसार उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम पर दर्ज भूमि मे से 04 बिस्वा भूमि करा वादी को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व विक्रयपत्र मे वर्णितानुसार पडौसो मध्य भूमि तरमीम करायी जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 2226/2 रकबा 0.2023 हैक्टयर (16 सौलह बिस्वा) मे से 04 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के खाते से कम कर उक्त आराजी मे से 04 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज करायी जावे व कब्जे अनुसार तरमीम करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, हमीरगढ़ को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी :– नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 21/2021 राजस्व वाद

1. श्री गिरीराज कुमार पुत्र श्री मदन लाल जी जाति मून्दड़ा (महाजन) आयु वयस्क निवासी– हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र श्री मोती लाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भंवर लाल पुत्र श्री मोती लाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री मोती लाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादी की ओर से श्री प्रवीण कुमार चौरडिया , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 28.11.2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ——और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि —— को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 2226/2 रकबा 0.2023 हैक्टयर (16 सौलह बिस्वा) मे से 04 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के खाते से कम कर उक्त आराजी मे से 04 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज करायी जावे व कब्जे अनुसार तरमीम करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, हमीरगढ़ को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। इसी अनुसार निर्णय व डिक्री की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे। आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़